

13/6/18

पत्रावली प्राप्त। वकील शार्पे अनुव वकील
 श्री लखिन राठौर अपन वकील शार्पे व शार्पे
 का बार-बार रुक रुक कर आवाने लगाया
 गया। लेकिन ना तो शार्पे ना ही शार्पे का
 वकील उपर पेश कार्य इन लिए इतत अनवान विनाशक
 को क्षम-पैरवी क्षम हाजिरी में खारिज किया
 जाता है वकील श्री लखिन राठौर से भी अज्ञान
 नियम-10(2) व चार 15 CPC में Note प्रस्तुतिया
 पत्रावली नियमानुसार दफ्तार वाकिर है। प्रत्येक

13/6/18
 उब 11
 CPC
 मोड
 प्रेस

स्वण्ड अधिकारी
 अनूपगढ़

